# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1615/2015..... जिला : जयपुर

मैसर्स कलक्त्ता निटवियर, 8,बिचुन का बाग,संसार चन्द रोड,जयपुर बनाम सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी–प्रथम, प्रतिकरापवचंन,संभाग,द्वितीय, जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी प्रथम,वाणिज्यिक कर,जोधपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.10.2015 | **खण्डपीठ**<br>**श्री सुनील शर्मा, सदस्य**<br>**श्री मनोहर पुरी,सदस्य**<br><br>अपीलार्थी की ओर से श्री विकम गोगरा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।<br><br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी–प्रथम, प्रतिकरापवचंवन, संभाग–द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है ) द्वारा पारित शास्ति आदेश दिनांक 05.10.2015, जो अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् पारित किया गया है, में रू. 14,69,664/–की मांग सृजित की है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त राशि के स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने अस्वीकार किया है। अपीलार्थी व्यवहारी ने रू. 14,69,664/– को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।<br><br>उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा, उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.10.2015 में अंकित नहीं किया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, स्थगन हेतु आवेदित राशि रू.14,69,664/–पर स्थगन प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेशान्तर्गत वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में,रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।<br><br>निर्णय सुनाया गया<br>12.10.2015<br>(मनोहर पुरी)<br>सदस्य<br><br>(सुनील शर्मा)<br>सदस्य | |